राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 12/2020 अपील

1. उमेश पूर्बिया पिता माधु पूर्बिया जाती गाडरी, निवासी कोटड़ी हाल निवास चर्च के पास, आजाद नगर, भीलवाड़ा
2. संजय पूर्बिया पिता माधु पूर्बिया जाती गाडरी, निवासी कोटड़ी हाल निवासी चर्च के पास, आजाद नगर, भीलवाड़ा
3. अनिता पुत्री माधु पूर्बिया गाडरी, निवासी कोटड़ी हाल शनि मंदिर के पास, पुर रोड़, भीलवाड़ा
4. ऐजी देवी पत्नि माधु पूर्बिया निवासी कोटड़ी हाल चर्च के पास, आजाद नगर, भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० लेण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्व निर्णय तहसीलदार भीलवाडा नामान्तरकरण संख्या 533 दिनांक 06.05.2005

उपस्थित –

1. श्री रामेश्वरलाल जाट अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.06.2022

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 533 दिनांक 06.05.2005 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रशासन आपके द्वार् अभियान 2004 में नामान्तकरण संख्या 533 दिनांक 06.05.2005 को खोला गया। जिसमें अपीलार्थी संख्या 01 से 03 का नाम गलत इन्द्राज कर दिया गया। अपीलार्थी संख्या 01 का नाम उमेश हैं परन्तु नामान्तरकरण में पप्पु अंकित कर दिया गया। इसी प्रकार अपीलार्थी संख्या 02 का नाम संजय है, जिसका नाम संजू अंकित कर दिया । इसी प्रकार अपीलार्थी संख्या 03 का नाम अनिता है और नामान्तकरण में अनु अंकित कर दिया। अंपीलार्थी संख्या 01 से 03 के घर में बोलते नाम पप्पू संजू अनु हैं और सरकारी दस्तावेजों में उमेश, संजय, अनिता है। रिकोर्ड में दर्ज नामों के अनुसार नामान्तकरण में नाम अंकित होने चाहिए परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अभियान के दौरान जल्दबाजी में गलत

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

सुनवायी का मौका दिया जाकर प्रकरण में अपीलार्थी को अपना पक्ष रखकर पूर्ण अवसर प्रदान कर तथा राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थीगणों के नाम शुद्धिकरण हेतु अपीलार्थीगणों के समस्त दस्तावेजात यथा स्कूल संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि जिससे जाहिर हो सके कि अपीलार्थीगणों के नाम पप्पू संजू अनु के बजाय क्रमशः उमेश, संजय, अनिता के नाम से जाना जाता हैं, की सम्पूर्ण जांच कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता हैं। उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती हैं। प्रकरण रिमाण्ड कर तहसीलदार भीलवाडा के नामान्तरकरण संख्या 533 दिनांक 06.05.2005 को अपास्त कर तहसीलदार भीलवाडा को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में अपीलार्थीगणों की सुनवायी की जाकर तथा राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थीगणों के नाम शुद्धिकरण हेतु अपीलार्थीगणों के समस्त दस्तावेजात यथा स्कूल संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि जिससे जाहिर हो सके कि अपीलार्थीगणों के नाम पप्पू संजू अनु के बजाय क्रमशः उमेश, संजय, अनिता के नाम से जाना जाता हैं, की जांच कर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। अपीलार्थी को आवश्यक रूप से पाबन्द किया जाता हैं कि वह इस प्रकरण में अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय में रखने हेतु संबंधित समस्त दस्तावेजात के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा के यहां दिनांक 15.07.2022 को उपस्थित होवें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा